न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 192/24
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 13.01.2026

1. महेश चंद पुत्र हुकमसिंह जाति राजकुमार निवासी खेडा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. नरेश पुत्र नत्थी जाति राजकुमार निवासी खेडा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

— अप्रार्थीगण

उपस्थितः— श्री रामकिशन पुनियां एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री दिलीप डागुर एड. (अप्रार्थीगण की ओर से)

—::निर्णय::— **प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सारगर्भित तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खाता संख्या 233 के आराजी खसरा नंबर 63 रकबा 0.67, 67 रकबा 0.71 एवं खाता नंबर 457 का आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम नाम तहसील नदबई स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण अपने मनबट से हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु अब सायल व प्रतिवादीगण के मध्य डोरमेड, लगान आदि पर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए उक्त विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात किए जाकर अलग—अलग खातेदारी व अलग अलग लगान तय करा पाने का अधिकारी है।
4. यह कि दिनांक 23.11.2024 को गैरसायल ने सायल को यह ऐलानियां धमकी दी है कि हम अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा करके रहेंगे व उक्त आराजी को दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल कर देंगे व तुम्हें कब्जे से बेदखल कर देंगे।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

अगर प्रतिवादीगण गैरसायल अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो सायल को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी अतः सायल, गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायल के हक में बखूबी साबित है। अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वह आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को दीगर जगह स्थानांतरयमुन्तकिल न करें व किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें व बेदखल न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सायल के हक व हकूकों पर जवाल आए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री दिलीप डागुर एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 आंशिक स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया गया है जो काबिल खारिजी के है। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी खाता संख्या 457 काश्तकार का नाम क्रमांक 2 पर मुकेश पुत्र नत्थी जाति राजकुमार निवासी नाम तहसील नदबई अंकित है जिसकी मृत्यु दिनांक 14.04.2022 को हो चुकी है। वादपत्र की मद संख्या 1 में प्रार्थी ने स्वयं लिखा है कि मुकेश खातेदार लाबिला औरत फौत हुआ है। यह जानते हुए भी प्रार्थना पत्र 53, 188 आरटीए में पेश कर कानूनी कसदन भूल की है क्योंकि प्रार्थना पत्र 88,89,188 आरटीए संयोजित कर पेश करना चाहिए था क्योंकि जब तक मुकेश के अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 नरेश के अधिकारों में समाहित नहीं हो जाते तब तक न्यायालय श्रीमान में विवादित आराजी के विभाजन का दावा पेश नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
3. यह कि मुकेश कुमार की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.04.2022 को हो चुकी है। सजरा जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्टाम्प पर प्रमाणीकरण सहित नोटरी दिनांक 25.11.2025 को पटवारी हल्का नाम के समक्ष पेश किया तो प्रार्थी के मन में बदनीयती आ गई और आनन–फानन में वादपत्र निकाला जिसका उद्देश्य मात्र सजरा प्रमाणीकरण कर 25.11.2025 को जो मृतक मुकेश के नामान्तकरण को खुलवाने बाबत् पेश किया उक्त कार्यवाही को बाधित करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिजी के है।
4. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के हक में है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

5. अप्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कथनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 53, 188 आरटीए के दावा के साथ पेश किया गया है। वादपत्र की मद संख्या 1 में काश्तकार मुकेश का मृतक होना बताया है। और मृतक मुकेश क स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 को मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। मृतक मुकेश के अधिकार उक्त विभाजन के वादपत्र से अप्रार्थी सख्या 1 में समायोजित नहीं होते हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र मृतक मुकेश के एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 1 नरेश का नामान्तकरण रूकवाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध लाया गया है एवं उसे ही पाबंद कराया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुए व तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया गया है। जो काबिल खारिजी के है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम नाम पेश किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में सजरा ग्राम पंचायत नाम एवं स्टाम्प की प्रतिलिपि पेश की गई।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन रहे कि विवादित आराजी मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व प्रतिवादीगण के मध्य डोरमेड, लगान आदि पर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है। अप्रार्थी द्वारा यह धमकी दी गई है कि उक्त विवादित आराजी में से अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा करके रहेंगे व उक्त आराजी को दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल कर देंगे व प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल कर देंगे। यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी। विवादित आराजी के बेचान आदि से वाद बाहुल्यता बढेगी एवं वाद के अंतिम निस्तारण में अनावश्यक देरी उत्पन्न होगी। अतः दावा के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें एवं बिना बंटवारा कराए विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल न करें एवं दीगर व्यक्तियों को कब्जा आदि न दें। प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलदांजी उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं कथन रहे कि प्रार्थना पत्र धारा 53, 188 आरटीए के दावा के साथ पेश किया गया है। वादपत्र की मद संख्या 1 में काश्तकार मुकेश का मृतक होना बताया है। और मृतक मुकेश क स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 को मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। मृतक मुकेश के अधिकार उक्त विभाजन के वादपत्र से अप्रार्थी सख्या 1 में समायोजित नहीं होते हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र मृतक मुकेश के एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 1 नरेश का नामान्तकरण रूकवाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध लाया गया है एवं उसे ही पाबंद कराया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुए व तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया गया है। जो काबिल खारिजी के है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को किसी भी दिनांक को कोई धमकी नहीं दी गई है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

सहायक कलक्टर

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि–

1. **पृथमदृष्ट्या मामला**– प्रार्थीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित हाल आराजी खाता संख्या 233 के आराजी खसरा नंबर 63 रकबा 0.67, 67 रकबा 0.71 एवं खाता नंबर 457 का आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम नाम तहसील नदबई तहसील नदबई में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के अंतिम निस्तारण से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है ताकि अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल नहीं कर सकें एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अधिवक्तागण की दलीलों एवं प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी की उक्त विवादित आराजी पर वर्तमान में मनबट से काबिज होकर काश्त की जा रही है। चूंकि संयुक्त खाते की आराजी में समस्त अंशधारी/सहखातेदार पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं अतः उनमें से किसी को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यदि रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है तो उसके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण अप्रार्थीगण कृषि उन्नयन आदि से भी वंचित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में जारीशुदा स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित नहीं है। उक्त विवादित आराजी में मृतक मुकेश के भी खातेदारी अधिकारों को तय नहीं किया गया है जबकि मृतक मुकेश उक्त आराजी में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी के विभाजन दावा में जब तक मृतक खातेदार के खातेदारी अधिकारों का समायोजन नहीं हो जाता है तब तक उसके हिस्से का विभाजन भी संभव नहीं है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित होता है।
2. **सुविधा का सतुलन** – चूंकि मामला प्रथमदृष्ट्या अप्रार्थी के हक में साबित होता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी को अत्यधिक क्षति हो रही है। अप्रार्थी कृषि उन्नयन/विस्तार आदि सुविधाओं से वंचित हो रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित नहीं होकर अप्रार्थी के हक में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षति** – चूंकि संयुक्त खातेदारी की उक्त विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल आदि नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी के हक में साबित होती है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होती है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल आराजी खाता संख्या 233 के आराजी खसरा नंबर 63 रकबा 0.67, 67 रकबा 0.71 एवं खाता नंबर 457 का आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम नाम तहसील नदबई तहसील नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 17.12.2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/01/26 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (R.A.S.)
नदबई जिला भरतपुर नदबई